

18 hrs.

ARREST AND RELEASE OF MEMBER

Mr. Speaker: I have to inform the House that I have received the following wireless message, dated the 5th September, 1962, from the Magistrate, First Class, Purulia:—

“Shri Bhajahari Mahato, Member, Lok Sabha, accused in a case under section 302, Indian Penal Code, was taken into custody on the 30th July, 1962. He was released on bail on the 4th August, 1962. Due to sheer omission, timely intimation could not be given to the Speaker. I tender unqualified apology for his serious omission which was unintentional.”

PAKISTANI INFILTRATION In ASSAM

Mr. Speaker: Now, we will take up the half-an-hour discussion. Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, असम में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध प्रवेश की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अब से कुछ समय पूर्व भी मैं ने सदन का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित किया था लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मंत्रालय के पास पूरी जानकारी नहीं थी और मंत्रालय ने इस के उत्तर में यही कहा कि उस की जांच कराई जा रही है। पूरी जांच होने पर इस सदन को सूचित किया जायेगा।

अवैध प्रवेश की यह समस्या केवल असम प्रदेश की ही नहीं है अपितु उस के आस पास पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में भी इसी प्रकार का एक संकट उपस्थित हो गया है जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये किसी भी समय विस्फोट का कारण बन

सकता है। जब-जब इन प्रश्नों को उठाया जाता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ लोग उस को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित मानते हैं तो कुछ किसी देश विशेष के प्रति विद्वेष की भावना से प्रेरित मानते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना इस प्रश्न को पहले भी उठाने का सम्बन्ध था और आज भी इस चर्चा को उठाने का सम्बन्ध है केवल मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मैं इस चर्चा को उपस्थित कर रहा हूँ।

पाकिस्तानी घुसपैठ के आंकड़ों के संबंध में जैसा मैं ने पहले भी कहा था कि सरकार कुछ समय तक तो जांच ही करती रही। यह पहला अवसर है कि जब कल राज्य सभा में गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को दृढ़ और स्पष्ट भाषा में कहा है कि ढाई और तीन लाख के मध्य में पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से असम में आ कर बस गये हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा के सम्बन्ध में भी कुछ दिन पूर्व वक्तव्य देते हुए उन्होंने ने यह बतलाया था कि लगभग ५० हजार पाकिस्तानी नागरिक त्रिपुरा के अंदर आ कर बस गये हैं। लेकिन मेरा अपना अनुमान इस प्रकार का है कि यह सरकारी आंकड़े पूरे सही नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि असम में जितनी मात्रा में पाकिस्तानी नागरिक आये हैं वह संख्या इस की लगभग दुगनी या ढाई गुनी से भी ज्यादा है। इस के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से यूं भी कहना चाहता हूँ कि असम प्रदेश की सरकार और भारत सरकार देर तक इन तथ्यों को क्यों छिपाती रहीं? श्री फखरुद्दीन अहमद जोकि असम के वित्त मंत्री हैं, पिछले अपने सामान्य चुनावों में स्थान-स्थान पर यह कहते फिरते कि यह केवल एक नारा है जो असम राज्य को बदनाम करने के लिये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी नागरिक असम में इस तरीके से भारी मात्रा में प्रवेश कर गये हैं। लेकिन उन्होंने सामान्य चुनावों में ही नहीं अपितु जब असम राज्य का बज

प्रस्तुत हुआ उस समय भी उन्होंने अपने असम राज्य की विधान सभा में इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि यह जो संख्या १९६१ की जनगणना में बढ़ी है उस के तीन कारण हैं। पहला कारण उन्होंने यह बतलाया कि हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों के बच्चे अधिक उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण असम के वित्त मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि जो मुसलमान सन् ५० के दंगे में असम छोड़ कर चले गये थे वे बाद में यहाँ आ कर बस गये। इस तरह भी १९६१ की जनगणना में उन की संख्या बढ़ी। तीसरा कारण साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि असम के अंदर चाय बागान में मजदूरी बहुत आसानी से मिल जाती है इसलिये बाहर से कुछ मजदूर आ कर बस गये हैं जिस के कारण यह जनगणना में कुछ वृद्धि हुई है। बिलकुल उन्हीं बातों की और उन्हीं तथ्यों को अब से कुछ समय पूर्व लोक-सभा में भी एक सदस्य ने दुहराया था और इसी प्रकार की बात को अभी ४, ५ दिन पूर्व राज्य सभा में भी उन से सहानुभूति रखने वाले एक सदस्य ने दुहराया था। लेकिन मैं इन बातों के सम्बन्ध में संक्षेप से उत्तर देते हुए अपनी चर्चा के क्रम को थोड़ा भ्राम ले जाना चाहता हूँ।

जहाँ तक संतति या प्रजनन का संबंध है कि उन के बच्चे ज्यादा उत्पन्न हाते हैं और हिन्दुओं के कम होते हैं इस सम्बन्ध में मैं विस्तार से नहीं कहूँगा क्योंकि इस सदन की परम्पराओं के अनुरूप भी वह बात नहीं रहेगी परन्तु मैं उदाहरण के रूप में एक मोटी सी बात बतलाता हूँ कि आज तक विश्व का रेकार्ड कहीं भी इस प्रकार का नहीं है कि जहाँ दस वर्ष में जनसंख्या बढ़ कर दुगनी हो गई हो लेकिन असम में इस प्रकार की स्थिति है। पश्चिमी चमरिया वहाँ का एक स्थान है। सन् ५१ में उस क्षेत्र की आबादी २६७०० थी लेकिन सन् १९६१ की जो जनगणना हुई है उस के अनुसार

वहाँ की आबादी ५२,९०० हो गई। संख्या का दुगना बढ़ जाना मैं समझता हूँ कि यह संतति उत्पत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता अपितु इस में यह मालूम पड़ता है कि कोई रहस्य है जोकि इतनी वृद्धि हुई है।

दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो पठारकांडी थाना है अगले उस थाने में ही जुलाई १९६१ में ५००० आदिमियों ने एक साथ अपने को वॉटर लिस्ट में लिखाया। इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह संतति उत्पत्ति का परिणाम है या इस के पीछे कोई रहस्यात्मक योजना है? जहाँ तक इस संख्या वृद्धि के सम्बन्ध का आधार उन्होंने यह साम्प्रदायिक दंगे बतलाये तो इसके लिए मेरा कहना यह है कि इन साम्प्रदायिक दंगों से पहले पूर्वी बंगाल, और बारीसाल में हिन्दुओं के साथ बहुत कुछ लूटपाट हुई और हत्याकांड हुए थे। यह ठीक है कि उस के पश्चात् फरवरी सन् ५० में ही असम में दंगे हुए और कुछ लोग असम राज्य छोड़ कर बाहर चले गये लेकिन उस के ठीक बाद में नेहरू-लियाकत पैक्ट ८ अप्रैल सन् ५० को हुआ और इस ८ अप्रैल सन् ५० के नेहरू-लियाकत पैक्ट का परिणाम यह हुआ कि जो मुसलमान असम राज्य छोड़ कर बाहर चले गये थे वह धीरे-धीरे सन् ५० के अन्त तक अपने घरों में वापिस आ गये। एसी स्थिति में यह कहना कि सन् ५१ के अन्त में जो जनगणना हुई उस ५१ की जनगणना में वह नहीं थे और ६१ की जनगणना में अंकित हुए मैं समझता हूँ कि इस के पीछे कुछ भी सचवाई नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा बलवती बनाने के लिये पिछली तीन जनगणनाओं को भी यहाँ थोड़ा सा उद्धृत कर देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, असम राज्य में सन् १९३१ में जो जनगणना हुई उसमें सन् १९२१ की जनगणना की अपेक्षा १'६७

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह सन् १९४१ में जो जनगणना हुई उस में सन् १९३१ की जनगणना की अपेक्षा १८.३९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् १९५१ के अन्दर जो जनगणना हुई उस में सन् १९४१ की जनगणना के मुकाबले १९.६२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब अगर इन सब का अनुपात काल लिया जाय तो मेरा अपना अनुमान है कि १९.१९ प्रतिशत से अधिक यह वृद्धि कैसे भी जा कर नहीं बैठती। लेकिन १९६१ की जनगणना के सम्बन्ध में जो हमारे आंकड़ा विभाग और जनगणना विभाग के सुपरिन्डेंट हैं उन्होंने ने यह कहा है कि किसी भी भाग में २१ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिये। इस हिसाब से तो सन् ५१ और ६१ के मध्य में उस राज्य में कुल वृद्धि जो संभव हो सकती है वह १८ लाख ५४ हजार और ४४७ की हो सकती है।

भारत विभाजन के बाद मार्च १९६२ तक जो परिवार वहाँ से उजड़ कर पाकिस्तान चले गये थे और दुबारा असम राज्य में आ कर बसे हैं उन की संख्या १ लाख २९ हजार है। अगर एक परिवार का औसत प्रति पांच व्यक्ति मान लिया जाय तो यह संख्या ६ लाख ४५ हजार से अधिक नहीं बैठती है। सन् १९५१ की जो जनगणना हुई थी उस समय इस ६ लाख ४५ हजार की जनसंख्या में से २ लाख ७४५५५ आदमी इसी प्रकार के थे जोंकि इस समय अंकित किये जा चुके थे। अगर उन को घटा दिया जाय तो घटाने के पश्चात् यह संख्या केवल ३ लाख ७०५४५ रह जाती है।

अब अगर यह संख्या वृद्धि मजदूरी आसानी से मिलने के कारण बतलाई जाती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि असम राज्य में कुछ स्वयं इतनी ईश की कृपा है कि भारत के बाहर के मजदूरों के लिये वहाँ पर कोई सपत की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर

मिस्टर फलरुद्दीन अहमद की बात को मान भी लिया जाये और मैं इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहूँ तो भी पिछले दस वर्षों में ५०००० से अधिक मजदूर असम राज्य में बाहर से नहीं आ सकते। इन सब आंकड़ों को जोड़ लिया जाय तो हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि १९५१ की जनगणना के आधार पर वहाँ की जनसंख्या ८८ लाख ३०७३२ थी। इस में २१ प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है उस को मिला कर यह संख्या १८ लाख ५४४७ होती है। इसके बाद के सन् ५१ में जो परिवार वहाँ से उजड़ कर चले गये थे और लौट आये उन की संख्या ३ लाख ७०५४५ है और ५०००० मजदूर बाहर से आ कर मजदूरी में लग गये। इस तरह से कुल को अगर मिला लिया जाय तो यह तादाद जा कर १ करोड़, ११ लाख ५७२४ बैठती है लेकिन सन् १९६१ जो मैं असम में जनगणना हुई है उस में यह सारे आंकड़े जो १ करोड़ १८ लाख ६०५९ बैठते हैं तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यह जो बाकी ७ लाख ५४३३५ व्यक्ति रह जाते हैं यह असम के अन्दर आ कर कौन बसे हैं, यही एक समस्या है जो कि सारे देश के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह बन कर खड़ी है? यही वह बात है जिस पर इस संसद् को गम्भीरता के साथ निर्णय करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को संक्षेप की ओर ले जाते हुए बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह युक्तियाँ जो असम राज्य के वित्त मंत्री मि० फलरुद्दीन अहमद ने दी हैं वह विधान सभा में दी हों सो बात नहीं है, सामान्य निर्वाचनों में स्थान-स्थान पर भाषण देते हुए उन्होंने यह बात कही हो, सो बात भी नहीं है बल्कि अभी तीन, चार दिन पहले जब वे दिल्ली आये थे तो यहाँ आ कर भी उन्होंने ने इन्हीं तथ्यों और युक्तियों को कानों-कानों तक पहुँचाने का यत्न किया कि आसाम में इस प्रकार की कोई समस्या

नहीं है। जहां तक मैं समझ सका हूँ, पाकिस्तान बताते समय असम और बंगाल के सम्बन्ध में मिस्टर जिन्ना की जो योजना थी, उसी को पूर्ण करने के लिये यह योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है।

इस सदन में त्रिपुरा के सम्बन्ध में यह कहा गया कि वहां पर पचास हजार पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिस को हमारे गृह मंत्रों ने स्वीकार भी किया। जब उन लोगों को वहां से हटाने की चर्चा आई, तो गृह मंत्रों ने कहा, "एक साथ पचास हजार आदमियों को भला कैसे निकाला जा सकता है? थोड़ा मानवीय सहानुभूति से भी सोचना पड़ेगा।" मैं नहीं समझ पाया कि अगर किसी के घर में डाकू आ कर बस जायें और उन की संख्या अधिक हो, तो उस समय क्या परिवार वाले लोग उन डाकूओं को निकालने के सम्बन्ध में मानवीय सहानुभूति की बात सोचेंगे, या यह सोचेंगे कि अपने परिवार की रक्षा कैसे की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण को ले कर आये हैं, जिन के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, उन के सम्बन्ध में हम को दृढ़ता से कुछ निर्णय लेना चाहिए।

मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय बतायें कि जब पचास हजार पाकिस्तानी नागरिकों को त्रिपुरा से पाकिस्तान भेजने की बात हुई थी और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मिस्टर हिलाली, हमारे प्रधान मंत्रों और गृह मंत्रों से आ कर मिले, तो उस समय प्रधान मंत्रों और मिस्टर हिलाली के बीच में क्या एग्जामेंट हुआ था, जिस के बाद यह मानवीय सहानुभूति का नारा लगाया गया था।

मैं एक और बात असम राज्य के कृषि मंत्रों के बारे में भी कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे गृह मंत्रों महोदय इस बात को जरा स्पष्ट भाषा में सदन को बतायें कि क्या इस प्रकार के व्यक्ति असम

राज्य के मंत्रि-मंडल में हैं, जो मिस्टर जिन्ना के सेक्रेटरी रह चुके थे। क्या इस प्रकार के व्यक्ति असम राज्य के मंत्रि-मंडल में हैं, जो १९५७ से पहले मुस्लिम लीग में थे? क्या वहां पर इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जिन पर देश-विरोधी कार्यवाही करने पर केस चलाया गया था? अगर हैं, तो मुझे आप इन शब्दों को कहने की आज्ञा दीजिये कि असम के सम्बन्ध में हम आज वही भूल कर रहे हैं, जो शेख अब्दुल्ला को शरण दे कर हम ने काश्मीर में की थी।

आज उसी का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि १९६२ के पिछले सामान्य चुनावों में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने उन्हीं लोगों की ओर से इस प्रकार की मांग की गई कि हम को हमारी संख्या के आधार पर २८ सीट दी जायें। उसी का परिणाम है कि घुबरी सबडिविजन, बारापेटा सबडिविजन और ग्वालपाड़ा में १९५७ में उतने पाकिस्तानी मनोवृत्ति के मुसलमान विजयी हो कर नहीं आये, जितने कि अब आये हैं।

सुझाव के रूप में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। असम राज्य भारत का एक सीमावर्ती राज्य है, जो कि एक प्रकार से भारत का मस्तक कहा जा सकता है। अगर उसको बचाना है, तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि एक तो असम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा की सीमा को केन्द्रिय सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर उन व्यक्तियों के विरुद्ध, वे सरकारी हों या अर्द्ध-सरकारी, यह भयंकर देश-द्रोह का आरोप साबित हो जाता है कि इस में उन का हाथ है, तो फिर सरकार नज़ाकत से इस विषय में कोई निर्णय न ले कि उन को अपने पद से हटाया जा रहा है, उन को पदमुक्त किया जा रहा है, बल्कि उन को वही दंड दिया जाना चाहिए, जो कि एक भयंकर देश-द्रोही को दिया जाता है, जस से दूसरे लोगों की भी आंखें खुलें। इस के अतिरिक्त जनगणना में या मतदाता-सूची में जिन लोगों

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

के नाम दर्ज हो गये हैं, उन को वहाँ से हटाया जाये। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो मेरा अनुमान है कि वह अपने देश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करेगी।

Shri P. C. Borooah: Is it a fact that a batch of 200 Pakistani nationals were detected having no valid documents and when they were asked to back to Pakistan, the Pakistan Government did not agree to it? If so, what steps are Government taking in the matter?

Shri Basumatari (Goalpara): May I know what measures Government has taken to control the flow of infiltration of Pakistanis, whether they have introduced a system of identity cards to control it and whether the number of Muslim infiltrants has been found out in the 1961 census?

Shri Hem Barua: May I know if the attention of Government is drawn to the threat very recently held out by Pakistan that if these illegal infiltrators into Assam are sent back or if India wants to get rid of them, Pakistan would effect a corresponding exodus of the minority community in Pakistan, and if so, is it one of the reasons why these infiltrators are allowed to live in Assam till now and not sent back?

Shri Hari Vishnu Kamath: If I remember aright, in the last session, the Home Minister—his senior colleague—declared unambiguously and unequivocally that the illegal immigrants from Pakistan into Assam would be expelled and firm action would be taken. Subsequently, after that decision, there was a report in the papers that the Prime Minister, on account of representations bordering on threats from Pakistan . . .

Mr. Speaker: The hon. Member should put his question.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not making a speech. I only want to

make my question clear. There was a report in the papers that the Prime Minister succumbed to the pressure from Pakistan and changed the policy. Is the hon. Minister aware—this is my question—that an unfortunate impression has been created in Assam and elsewhere in the country, that the Government has out of fear succumbed to pressure from Pakistan and that in that part of India—Assam and Tripura—it is the writ of Pakistan Government that runs and not the writ of the Government of India.

Mr. Speaker: The hon. Minister.

Some Hon. Members rose—

Shri Bade: Sir, may I put one question?

Mr. Speaker: No, Sir. Only those who have given advance notice are allowed to put questions.

Shri Basumatari: May I ask another question?

Mr. Speaker: No.

Shri N. R. Laskar (Karimganj): May I put one question?

Mr. Speaker: I have already said that only those who have given advance notice are allowed to put questions.

Shri Bade: I do not want to put any question. I only want to draw the attention of the hon. Minister to a report in the *Hindusthan Standard* dated the 27th.

Mr. Speaker: Does he want to make a speech?

Shri Bade: No, Sir. I only want to point out.....

Mr. Speaker: He does not want to make a speech nor does he want to put a question. What is he going to do then?

Shri Bade: Shri Motiram Bora, who was the Revenue Minister, alleges that some ministers are calling meetings of Mullas and Moulvis in Assam. That is the allegation made in the *Hindusthan Standard* of the 27th.

Mr. Speaker: He may put his question.

श्री बड़े : मेरा कहना यह है कि १७ जून के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में उन आरोपों की मांग की गई थी, जो कि डा० मोतीराम बोरा ने लगाये थे। डा० मोतीराम बोरा असम के रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे व्यक्ति सरकार के जिम्मेदार पदों पर आगये हैं, जो कि दिन को तो कांग्रेसी रहते हैं और रात को मुस्लिमों और मौलवियों की सीक्रेट मीटिंग में जाते हैं और असम में आने वाले लोगों की मदद करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या शासन ने उन एलीगेशन की तरफ लक्ष्य किया है।

Mr. Speaker: The hon. Member there may also put a question.

Shri N. R. Laskar: May I know from the Government what steps have been taken so that Indian Muslims may not be harassed in the name of infiltration into Assam?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): Mr. Speaker, Sir, the hon. Members of this House and the other House are keenly interested in this question, and rightly so.

श्री कछुवाय (देवास) : माननीय मंत्री जी का वक्तव्य हिन्दी में होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन को कैसे कह सकता हूँ ?

श्री बड़े : कुछ सदस्यों की समझ में नहीं आता है।

श्री बागड़ी : साथ-साथ उस को ट्रांसलिट करके जाना चाहिए।

Shri Datar: It is clear from the fact that during the last month or so during this Season in both the Houses of Parliament about 12 or more questions, Starred and nstarred, have been asked and answered by Government in this respect. Therefore, I am prepared to place certain material before the hon. House with a view to ease their misgivings.

In the first place, before I deal with the various points, I should like to point out to the hon. Mover of this discussion that he need not have brought in certain names, especially of the Ministers in the Assam Ministry. It is a very delicate question, and when such allegations are made...

Mr. Speaker: In the case of one he was referring to the statements that he had made on the floor of the House, and therefore, I did not object.

Shri Datar: I can have no objection provided statements are referred to and statements are criticised.

Shri Hem Barua: Ministers are not impersonal beings.

Shri Hari Vishnu Kamath: They are not officers of the Government.

Mr. Speaker: Ministers also should not be referred to, but because he was referring to certain statements I did not stop him.

Shri Datar: May I point out in this connection, without dealing with it at great length, that this question was discussed in the Assam Legislative Assembly, if I mistake not, for full three days, and all the points were answered by the Chief Minister of Assam. Therein he has clearly pointed out that they are aware of the position created by this large-scale infiltration and that they are taking proper and vigorous steps for doing what is essential in this respect. Therefore, before I further deal with the points raised by my hon. friends, I would assure this House that the Government of India is also interested in seeing to it that such illegal infiltration,

[Shri Datar]

does not occur at all. It has been checked to a certain extent during the last few years.

Shri Hari Vishnu Kamath: To what extent?

Shri Datar: Illegal infiltration has been arrested to a certain extent during the last few years. I have not got the figures so far as the years are concerned, but I may point out that the Government of India are actually helping the State Government of Assam for tightening the border. Assam has a total border of over 600 miles. A number of check-posts and out-posts have already been established. In addition to this long border, we should also understand that there are dense forests and, therefore, sometimes it becomes difficult to find out exactly when a person enters India in an illegal manner.

Shri Hem Barua: He does not enter through the forests, he enters through villages.

Shri Datar: Therefore, the Government of India have been helping the State Government financially with a view to increasing the number of check-posts, with a view to seeing that detection is effective and with a view also to remove or expel all those persons.

So far as the actual figure is concerned, I would point out the present position. The population of Assam in 1951, according to the census then held, was 88,30,732. Now, in the 1961 census, the figure is—it has yet to be finally verified—1,18,60,059. That is to say, so far as Assam is concerned, the total increase is 34.42 per cent.

Shri Hem Barua: Highest in India.

Shri Datar: The Hindu population has increased by 33.94 per cent while the Muslim population has increased by 38.56 per cent. Therefore, the total increase in the population of Muslims

was about seven lakhs and odd. Certain usual causes for increase in population were taken into account, and some, of them have been referred to by the hon. Member. Taking 25 per cent as the normal increase in respect of the population within the course of a decade, it is found that after taking into account . . .

Mr. Speaker: Assam is growing faster than the other States.

Shri Hari Vishnu Kamath: It is very prosperous. It is sign of prosperity.

Shri Datar: The population during the various decades was taken into account. Therefore, it was held there was an above-the-normal increase in population, and a number of causes were considered. When this question was brought to our notice by some hon. Members, also independently, we requested the State Government to go into the whole question as carefully as possible. Here I might also point out that there are certain legitimate reasons for the increase in population. Assam, as my hon. friend, is aware, is gradually rising industrially also, very big things are being done there and the tea gardens are also there . . .

Shri Hem Barua: It is a very convenient plea.

Shri Vishram Prasad: At the same time, floods also.

Shri Datar: . . . and, to a certain extent, there has been some immigration from other parts of India. After looking into all these circumstances, Government felt that at least with regard to the figure between 2,50,000 and 3,00,000 none of these causes could be considered as constituting a reasonable rate of increase. That is the reason why, after the enquiry was made by the Assam Government, the Government of India have tentatively come to the conclusion, in concurrence with the State Govern-

ment, that the population of 2,50,000 to 3,00,000 is due to illegal infiltration during the period of the last ten years. Therefore, this population has to be taken into account. These are the various circumstances that the Government took into account. Therefore, Government are anxious that this population goes out as early as possible.

Apart from this figure of 2,50,000 to 3,00,000 as constituting the total illegal infiltration, Government also have been taking certain vigorous steps under the various Acts, like the Foreigners Act. According to this, as the figures which I gave in this House will show, 30,000 people have been proceeded against, convicted and then expelled from India. That also should be noted. 33,000 is the figure. Legal action was taken against them and ultimately they were expelled from India.

Shri Basumatari: From the whole of India or only from Assam?

Shri Datar: I am speaking only of Assam. There are three or four areas of the eastern States for which also the figures have been given by us. But I am speaking only with respect to Assam and am trying to point out to the hon. Member that the Government have been taking certain action.

The question that arises is whether this population of 2,50,000 or so should immediately be expelled. That was the question which arose before Government. Who exactly these persons are has also to be found out. The courts have to be satisfied if prosecutions were to be launched against them. Therefore what Government thought was that they would lay down a programme of action according to which those who have recently come to India in an illegal manner ought to be expelled immediately. Therefore I would assure the House that the Government have a phased programme of getting rid of this large class of illegal infiltrants as early as possible.

Shri Hari Vishnu Kamath: The hon. Minister said 'phased programme'. Spread over how many years?

Shri Datar: Not a number of years; only extending over a few months or a year or so, in the immediate future.

Shri Hari Vishnu Kamath: Why did the hon. Prime Minister change the policy announced by the hon. Home Minister in the last session?

Shri Datar: I myself raised this question on human grounds and not out of any sense of fear or on account of any threat by Pakistan Government or by others. The Government came to the conclusion that these illegal infiltrants should be expelled as early as possible but, as I stated, according to a phased programme in the immediate future.

Shri Hem Barua: But the hon. Prime Minister did not say like that.. (*Interruption*). The hon. Prime Minister said that he wanted to resolve tension..... (*Interruption*).

Shri Hari Vishnu Kamath: Let the hon. Home Minister explain when he is here in the House. Why should he hide behind the junior Minister?

Mr. Speaker: The hon. Minister who is in charge is giving the answer.

Shri Datar: In this House we answered the question. But it has certain human aspects also which have to be taken into consideration. Therefore it was felt that it would be inhuman to drive out all these people immediately. The first step that is to be taken is to find out who these people are that form the population of illegal infiltrants of 2,50,000 to 3,00,000. Then, Government are aware of what necessary action has to be taken in this respect.

May I point out one more point in this connection?

श्री बागड़ी : हक चौधरी जो है, उसके खिलाफ भी कुछ एक्शन ले रहे हैं क्या ?

Shri Datar: I have given figures to show that in Assam in the month of July a large number of people were actually prosecuted, got convicted and expelled. Therefore it would not be proper to say that Government are bowing to a policy of fear or threat at the instance of some other nation. That is not the policy that the Government are following. But Government are anxious, as an hon. Member here rightly pointed out, that while we are anxious to expel those who have illegally entered into India and are staying here, we must also be careful to see to it that the indigenous Muslim population is not harassed at all.

Shri Basumatari: If there is no identity card, how can you identify them?

Shri Datar: Therefore Government are considering what steps exactly should be taken in this respect. They would do so in consultation with the Assam Government.

श्री बागड़ी : पाकिस्तानी जासूसों के बारे में भी तो कुछ कहिये ।

Shri Datar: The Assam Government are fully seized of this problem. The hon. Member raised a number of points and I might say that the Government of Assam are taking all necessary steps in as vigorous a manner as possible and the Government of India are also helping them financially. Therefore, there is no need for this House to have any misgiving on this question.

Shri Hari Vishnu Kamath: May I request you to permit the Home Minister to add something to the statement of the Junior Minister?

Mr. Speaker: I am going to add, on account of human consideration that we have been here so long, the House stands adjourned to meet again at 11 o'clock tomorrow.

13:31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday September 6, 1962/Bhadra 15, 1884 (Saka).